नम्बर व... अहकाम जो इ... की तामील में...

...ायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—श्री, दिनेश कुमार मण्डोवरा, आर.ए.एस.

...स्व प्रार्थना पत्र संख्या :—1143/14
...रीख दायरः— 30.05.2014
...रीख आदेशः—08.07.2015

...र्थी

1. श्री नानूराम पिता निहालचन्द जी लबाना निवासी सिद्धपुरा।

बनाम

...पक्षीगण

1. श्री लक्ष्मीनारायण पिता किशन मीणा।
2. श्री बाबू पिता किशन मीणा निवासीयान सिद्धपुरा।
3. तहसीलदार प्रतापगढ

:—निर्णयः—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट, 1955

...उपस्थिति :— 1. प्रार्थी स्वयं।

उपरोक्त प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र संबंधित दस्तावेजों के साथ अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट, 1955 में विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की खाते जमीन गांव सिद्धपुरा तहसील व जिला प्रतापगढ की आराजी नम्बर 565, 566 रकबा क्रमशः 0.78, 0.81 हेक्टेयर स्थित है। उक्त आराजीयात पर आने जाने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। उक्त भूमि पर आने जाने का मौजा सिद्धपुरा की आराजी नम्बर 536, 568, 569 भूमि है। जिस पर प्रार्थी उक्त आराजीयात के पूर्व व दक्षिण दिशा में गांव सिद्धपुरा से प्रतापगढ जाने वाली सडक स्थित है। प्रार्थी के उक्त आराजीयात में आने जाने के लिये रेवेन्यु रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थी के आरजीयात के आस पास के पडोसी प्रार्थी को उक्त आराजीयात में आने जाने के लिये तंग व परेशान करते है व निकलने से मना करते है इसी कारण आये दिन प्रार्थी विपक्षीगण एवं आस पडोस वालो से विवाद होता रहता है। इसलिये भविष्य मे प्रार्थी व पडोसियों के बीच रास्ते पर विवाद को लेकर कोई झगडा नही हो इसलिये प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात में आने जाने के लिये आराजी नम्बर 536, 568, 569 में से पूरब, पश्चिम व उतर की तरफ नया रास्ता कायम कराना चाहता है ताकि प्रार्थी व आस पडोस वालो को आने जाने के लिये सुविधा हो सकें। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा आने जाने के लिये वर्तमान में

से जाने के लिये रास्ता कायम किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विपक्षीगण की आरीजी में से नियमानुसार जो नया रास्ता कायम किया जाता इसका मुआवजा प्रार्थी नियमानुसार विपक्षी को अदा करने को तत्पर व तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सिद्धपुरा की प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजीयात नम्बर 565, 566 क्षैत्रफल .78, 0.81 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 338 क्षैत्रफल 1.05 हैक्टेयर पर आने जाने का रास्ता जो ग्राम रोड से आराजी नम्बर 536, 568, 569 विपक्षगण के खाते है जिस पर से पूरब, पश्चित व उत्तर की तरफ नयार रास्ता कायम किये जाने बाबत् आदेश फरमाया जावे तथा नया रास्ता रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने बाबत् आदेश फरमावें।

तहसीलदार प्रतापगढ द्वारा पेश जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिद्धपुरा के खसरा नम्बर क्रमशः 566, रकबा 0.81 पर रेकॉर्ड अनुसार उक्त खसरा नम्बर श्री नानुराम पिता निहालचन्द लबाना निवासी सिद्धपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । मौका अनुसार खसरा नम्बर 566 पर जाने का कोई रास्ता नही है। नक्शा अनुसार उक्त दोनो आराजीयात पर जाने हेतु रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है। मौके पर अन्य कृषकों के खेत के किनारे किनारे खातेदारी भूमि में होकर आते जाते रहे है जिसका कोई पक्का स्थाई रास्ता नही रहा है। प्रार्थी स्वयं की आराजी नम्बर 566 मे पूर्वा दिशा में स्थित बाबूलाल पिता किशनलाल मीणा सा.देह रहन एस.बी.बी.जे. प्रतापगढ की खातेदारी आराजी नम्बर 568मी. , 569 मी, 570 मीन रकबा कमश 0.31, 1.10, 0.15 कुल किता 3 कुल रकबा 1.56 हैक्टेयर के दक्षिण दिशा के किनारे 4 मीटर चौडे मार्ग को प्रस्तावित कराना चाह रहा है। जो वैकल्पिक रूप से निकटतम मार्ग है। इस प्रकार लम्बाई 134 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 528 वर्गमीटर पूर्णाक मे (0.05 है.) रास्ता प्रस्तावित है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर जाने हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार कोई रास्ता जाने हेतु रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नही है। इस प्रश्नगत् व प्रस्तावित रास्ता भूमि के बारे मे उप पंजीयक देवगढ से ली गई । रिपोर्ट अनुसार सिद्धपुरा की वर्तमान नयी डी एल सी दर रूपये 12379 प्रतिएयर दर्शाया है।

इसके अलावा हमारी विधिक राय में प्रार्थीया को अपने तथाकथित सुखाधिकार से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं होगा। इस प्रकार उल्लेखित प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कतिपय प्रावधान आर.टी.एक्ट, 1955 की धारा 251 (ए) एवं इस प्रावधान अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना राजस्थान, राज–पत्र, जनवरी 18, 2012, विधि, (विधायी प्रारूपण) विभाग (ग्रुप– 2) राजस्थान जयपुर में दिये गये दिशा –निर्देशन अनुरूप प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया काबिल स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः परिणाम स्वरूप उल्लेखित विश्लेषण एवं कतिपय विधि प्रावधान तथा अधिसूचना दिनांक 18.01.2012 के अनुरूप प्रार्थी का तथाकथित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आ

आराजी नम्बर 565, 566 रकबा कमशः 0.78, 0.81 हैक्टेयर भूमि पर आने –जाने हेतु अप्रार्थी बूलाल पिता किशनलाल मीणा सा.देह. के खातेदारी कृषि भूमि मौजा सिद्धपुरा की आराजी म्बर 568मी. 569 मी. 570 मी. रकबा कमशः 0.31, 1.10, 0.15 हैक्टेयर भूमि है जिसमें से 34 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 528 वर्गमीटर पूर्णाक मे (0.05 है.) को इस सशर्त पर गैर मकिन रास्ता घोषित किया जाता है कि प्रार्थी प्रचलित बाजार दर रूपये (आराजी नम्बर 68मी. 569 मी. 570 मी. रकबा कमशः 0.31, 1.10, 0.15 हैक्टेयर भूमि है जिसमें से 134 मीटर x चौडाई 4 मीटर = 528 वर्गमीटर पूर्णाक मे (0.05 है.) मीटर इस प्रकार कुल रकबा .05 हैक्टर x 12379 = 61895 रूपये जिसकी दो गुणा मूल्यांकन देय राशि रूपये 61895 x 2 = 1,23,790/- रूपये होती है, अर्थात उपरोक्त मूल्यांकन राशि रूपये 123790/– रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी बाबूलाल पिता किशनलाल मीणा को रोकड अदा कर प्रामाणिक रसीद पेश करें। तदपरान्त उपरोक्त आदेश की पालना में तहसीदार प्रतापगढ व पटवारी सिद्धपुरा राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम करना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें आवाजाही हेतु प्रार्थी का रास्ता खुला रहें।

निर्णय आज दिनांक ....8/7/15....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ़